बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 108 / 2021– 823

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 07/09/2021

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत पनहार–कोचरा मोड तक पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02954 हे० वन भूमि का "मण्डल अभियन्ता (दूरसंचार), भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ, नालंदा" के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. नालंदा जिलान्तर्गत पनहार–कोचरा मोड तक पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02954 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मण्डल अभियन्ता (दूरसंचार), भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ, नालंदा का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण नालंदा वन प्रमंडलन्तर्गत होना है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

| क्रम सं० | वन प्रमंडल का नाम | क्षेत्रफल (हे० में) | पातित होने वाली वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | नालंदा | 0.02954 | 0 |
| | **कुल** | **0.02954** | **0** |

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल नालंदा जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 1647 (E) दिनांक 20.12.1994 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल

0.02954 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा एवं वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, वर्त्तमान में कार्य बंद है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपोशीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 4708 दिनांक 19.08.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा 0.02954 हे० में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2021 में करने के कारण MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में NPV मद की आकलित राशि रू० 18,492/– मात्र का 20% राशि रू० 3,698/– को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जायेगा।

9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

10. Laying of underground optical fiber cable अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

07.9.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

**नालंदा जिलान्तर्गत पनहार–कोचरा मोड तक पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.02954 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट–**

| क्र० सं० | विवरणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I | संलग्न। |
| 2 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking | संलग्न। |
| 3 | प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा | संलग्न। |
| 4 | प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित Geo-referenced नक्शा | संलग्न। |
| 5 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II | संलग्न। |
| 6 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन | संलग्न। |
| 7 | जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र | संलग्न। |
| 8 | वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III | संलग्न। |
| 9 | नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV | संलग्न। |

07.9.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com